.मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा.

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP
Crll

कलेक्टर

ज अदालत ... रामकिशोर ... बनाम ... तहसीलदार बांदीकुई ... मुकाम बांदीकुई

रस्म मुकदमा ... धारा-136 LR Act (विविध) No ... सन 03/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	09/01/2025 प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र जमाबंदी में नाम संशोधन करवाने बाबत स्वयं उपस्थित होकर पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रिपोर्ट तहसीलदार ली जाकर पत्रावली दिनांक 24/01/2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी ... (दौसा) 24/01/2025 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उप०। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 LR Act इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया व पुराना 359 वाके ग्राम भरनियां स्थित है। प्रार्थी का जमाबंदी में किशोर पुत्र रामसहाय नाम दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम रामकिशोर पुत्र श्री रामसहाय है। अतः प्रार्थी की अस्त जमाबंदी में किशोर के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम रामकिशोर दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। प्रकरण में तहसीलदार/उपतहसीलदार को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में उपतहसीलदार डेलाढी से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उपतहसीलदार डेलाडी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम किशोर के स्थान रामकिशोर किया जाना उचित होगा।	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जा...

अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी का नाम किशोर सहवन दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का नाम रामकिशोर है। राजस्व जमाबंदी में उक्त त्रुटि सहवन से कारित होना प्रतीत होती है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः स्वयं प्रार्थी की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 LR Act स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम अरनियां तह. बांदीकुई जिला दौसा स्थित भूमि खाता संख्या नया व पुराना 359 की राजस्व जमाबंदी में किशोर के स्थान पर रामकिशोर पुत्र रामसहाय जाति बैरवा सा. देह खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बांदीकुई तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत अमल दरामद करें। तहसीलदार बांदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली कुसल सुधार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 23|01|2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)